कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 1202 /रामपुर/15575/2015, दिनांक, लखनऊ, अक्टूबर 27 , 2017

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वन एवं वन्यजीव अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषय : रामपुर–केमरी मार्ग (ओ0डी0आर0 नं0–20) किमी0 3.135 की बायीं पटरी पर ग्राम–पहाड़ी के गाटा सं0–140 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0555 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 05 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भः भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यूपी/06/34/2016/एफसी/185, दिनांक 28.07.2017,
भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यूपी/06/34/2016/एफसी/426, दिनांक 27.09.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों जो शासन को सम्बोधित एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है, का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रकरण में उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 28.07.2017 द्वारा कतिपय सूचनायें एवं अभिलेख उपलब्ध कराने की गयी थी। उक्त सूचनायें एवं अभिलेख प्रयोक्ता एजेंसी एवं सम्बन्धित कार्यालय से अपेक्षित थी। प्रकरण में शासन को सम्बोधित एवं इस कार्यालय को सम्बोधित भारत सरकार का सन्दर्भित पत्र दि0 27.09.2017 इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जिसमें वांछित अनुपालन आख्या 45 दिनों के अन्दर भारत सरकार न उपलब्ध कराने की दशा में भारत सरकार द्वारा स्वीकृति को रद्द कर दिया जायेगा।

उक्त के क्रम में वन संरक्षक, मुरादाबाद के पत्रांक–1294/14–1, दिनांक 18.10.17 द्वारा वांछित सूचना एवं अभिलेख इस कार्यालय को प्रेषित किये गये हैं। अतः वन संरक्षक, मुरादाबाद के उक्त पत्र दिनांक 18.10.17 की संलग्नक सहित एक प्रति एतत्सह संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रकरण में स्वीकृति निर्गत कराने की कृपा करें।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– / ,उक्तदिनांक

प्रतिलिपि अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक(केन्द्रीय) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र, अलीगंज, लखनऊ को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के क्रम में वन संरक्षक, मुरादाबाद के उक्त पत्र दिनांक 18.10.17 की संलग्नक सहित एक प्रति एतत्सह संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रकरण में स्वीकृति निर्गत करने की कृपा करें।

संलग्नकःउपरोक्तानसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।
2– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, रामपुर।
3– डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0, ए–5, से0–3, नोएडा।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।